कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

जोन क्रमांक–01, नेहरू नगर

//जोन–01 नेहरू नगर अंतर्गत कोसानगर गौ आश्रय केन्द्र (गौठान) का संचालन एवं प्रबंधन कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना//

क्र./ लोकवि/जोन–1/न0नि0/2026/ 1487 भिलाई, दिनांक 11/9/2026

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत जोन क्रमांक–01 नेहरू नगर अंतर्गत कोसानगर गौ आश्रय केन्द्र (गौठान) के संचालन एवं प्रबंधन कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जा रही है। रूचि की अभिव्यक्ति में ऑफर दाता द्वारा गौ आश्रय केन्द्र के संचालन एवं प्रबंधन हेतु कान्सेप्ट प्लान, विस्तृत कार्य योजना, विस्तृत प्राक्कलन सहित, संचालन कार्य एवं प्रबंधन सहित दरें प्रस्तुत करना होगा। तीन लिफाफा पद्धति से दिनांक 05/10/2026 तक रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जाता है। ऑफरदाताओं को लिफाफा 'A' में निविदा शुल्क राशि रू. 2500.00 का डी.डी. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं धरोहर राशि रू. 25,000.00 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. के रूप में जोन आयुक्त जोन–01, नगर पालिक निगम, मिलाई एवं ऑफरदाता के संयुक्त नाम के साथ, शपथ पत्र 100 एवं संलग्न नियम शर्तें में उल्लेखित दस्तावेज, लिफाफा 'B' में कान्सेप्ट प्लान, विस्तृत कार्य योजना, विस्तृत प्राक्कलन एवं लिफाफा 'C' में वित्तिय आफर (Financial Offer) के साथ लिफाफा "D" में तीनों अन्य लिफाफे में भरकर रजिस्टर डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा। प्राप्त ऑफर लिफाफा "A" दिनांक 06/10/2026 को समय प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी। निर्धारित निविदा शुल्क धरोहर राशि एवं अन्य दस्तावेज के परीक्षण उपरांत प्राप्त होने के उपरांत पात्र ऑफरदाता का लिफाफा 'C' वित्तिय आफर (Financial Offer) खोला जावेगा। जिसकी पृथक से सूचना दूरभाष के माध्यम से दी जावेगी। ऑफर खोले जाने के समय ऑफरदाता/उनके अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित रह सकते है।

नियम शर्तो का अवलोकन कार्यालयीन समय में जोन आयुक्त जोन–01 नेहरू नगर नगर पालिक निगम, भिलाई में की जा सकती है तथा नियम शर्तो एवं कार्यों की जानकारी नगर पालिक निगम, भिलाई के वेब साईट www.bhilainagarnigam.com एवं www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।

जोन आयुक्त
(जोन–01)
नगर पालिक निगम
भिलाई

भाव पत्र

जोन–01 नेहरू नगर अंतर्गत कोसानगर गौ आश्रय केन्द्र (गौठान) का संचालन एवं प्रबंधन करने का कार्य ।
(वर्ष 2026–27)

S.No.	Name of Work	Qty	Day	Total	Rate	Unit	Amount
1	जोन–01 नेहरू नगर अंतर्गत कोसानगर गौ आश्रय केन्द्र (गौठान) का संचालन एवं प्रबंधन करने का कार्य । (300 नग X 365 दिन) (i) प्रति मवेशी अनुमानित खपत चारा 08 किलो प्रति मवेशी प्रतिदिन खपत शामिल है। (ii) मवेशियों की संख्या के आधार पर पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी की मात्रा शामिल है। (iii) पर्याप्त मात्रा में साफ–सफाई, सुरक्षा एवं देखरेख हेतु दिनरात के अनुसार श्रमिक, सुरक्षागार्ड शामिल है। (iv) गौ आश्रय केन्द्र संचालन हेतु समस्त सामाग्री– फावड़ा, बेलचा, धमेला, घास कटर मशीन, हैंगींग मशीन, निर्धारित वर्दी, केनवास शूज, मास्क, गमबुट, दस्ताने, टोपी, एप्रॉन, मोजा, रेनकोट, पहचान पत्र आदि शामिल है। (v) दर समस्त कर सहित है। (vi) गौठान को गोबर/गो मूत्र के निष्पादन, गोबर एकत्रीतकृत, अंतवार्तीय सुरक्षा गढ्ढे में खाद को वर्मी बेड में डालना शामिल है। (vii) मवेशियों का टीकाकरण तथा दुर्घटना ग्रस्त एवं अस्वस्थ मवेशियों के ईलाज हेतु आवश्यक दवाईयों विटामीनस आदि का व्यय शामिल है। (viii) मृत होने वाले मवेशियों का विस्तृत जानकारी के साथ गरिमामय निष्पादन कर पंजी संधारण कार्य शामिल है। (ix) मवेशियों को टैक लगाकर चिन्हीत करने का कार्य शामिल है। (x) गौठान को गोबर/गो मूत्र के निष्पादन, गोबर एकत्रीतकृत, अंतवार्तीय सुरक्षा गढ्ढे में खाद को वर्मी बेड में डालना शामिल है। (xi) सभी प्रकार के दस्तावेज संधारण कार्य एवं सामाग्री उक्त राशि में शामिल है।	300	365	109500		प्रति दिवस प्रति मवेशी	

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

जोन–01 नेहरू नगर अंतर्गत कोसानगर गौ आश्रय केन्द्र (गौठान) का संचालन एवं प्रबंधन करने का कार्य।

नगर पालिक निगम भिलाई जोन क्रमांक 01 नेहरू नगर अंतर्गत कोसानगर गौ आश्रय केन्द्र (गौठान) का संचालन एवं प्रबंधन का कार्य कराया जाना है। जिसकी नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है।

1. निविदाकार से अपेक्षा की जाती है कि दर निर्धारण करने के पूर्व संबंधित स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेवें।

2. निविदाकार को प्राप्त दर की स्वीकृति होने की सूचना प्राप्ति के 07 दिनों के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा निविदा निरस्त किया जा कर अमानत राशि राजसात की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी। अनुबंध करने पश्चात जारी कार्यादेश के 07 दिवस अन्दर विषयांकित कार्य प्रारंभ करना होगा।

3. गौ आश्रय केन्द्र संचालन एवं प्रबंधन कार्य हेतु समस्त सामाग्री एजेंसी/संस्था के द्वारा स्वयं के व्यय से उपलब्ध करायी जायेगी। (सामाग्री विवरण :– फावड़ा, बेलचा, धमेला, घास कटर मशीन, हैंगींग मशीन, निर्धारित वर्दी, केनवास शूज, मास्क, गमबुट, दस्ताने, टोपी, एप्रॉन, मोजा, रेनकोट, पहचान पत्र)

4. गौठान की गोबर/गोमूत्र के निष्पादन की जिम्मेदारी एजेंसी का होगा। बिना सक्षम स्वीकृति के विक्रय का अधिकार नहीं होगा।

5. निविदाकार को छ.ग. राज्य में प्रचलित श्रम कानून का पूर्णतः कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, श्रमिको को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित दर से भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर संबंधित निविदाकार के विरूद्ध श्रम कानून के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

6. कार्य की अवधि एक वर्ष की होगी। आवश्यकतानुसार कार्य की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी उक्त अवधि में अनुबंधित दरों एवं शर्तो पर कार्य करने हेतु अनुबंधित एजेंसी बाध्य होगी।

7. शिकायत पर निराकरण 24 घंटे के अंदर करना आवश्यक होगा, अन्यथा निम्नानुसार दण्ड राशि अधिरोपित की जावेगीः–

   प्रथम त्रुटि – $\frac{\text{अनुबंधित वार्षिक ठेके की राशि}}{365} \times \frac{10}{100} + 5000/-$

   द्वितीय त्रुटि – $\frac{\text{अनुबंधित वार्षिक ठेके की राशि}}{365} \times \frac{10}{100} + 10000/-$

   तृतीय त्रुटि – $\frac{\text{अनुबंधित वार्षिक ठेके की राशि}}{365} \times \frac{10}{100} + 15000/-$

   तृतीय त्रुटि उपरांत आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को एकपक्षीय अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।

8. संचालन व्यवस्था अत्यावश्यक व्यवस्था है, इस लिए आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि इसकी निरंतरता बनाये रखने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिये निविदा बुलाये/रूचि की अभिव्यक्ति बिना भी अन्य एजेंसी /द्वितीय निविदाकार/तृतीय निविदाकार/एवं अन्य निविदाकार को कार्य संपालन हेतु नियुक्त रोटेशनवार कार्य इस निविदा में स्वीकृत दरों पर 1.1,1.2,1.3................ क्रम में संपादित कराया जाएगा। चूंकि कार्य हेतु रोटेशन सूची तैयार होगी अतः समस्त एफ.डी.आर. की राशि कार्य समाप्ति के पश्चात ही वापस की जा सकेगी।

9. अनुबंधित एजेंसी को त्रैमासिक देयक जोन आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत देयक से समस्त करो की कटौती कर देयक का भुगतान किया जावेगा।

10. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा।

11. कार्य के दौरान जियो टेग फोटो प्रिंट कराकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

12. मवेशियों को दिये जाने वाले चारा पैरा–कुट्टी (भुसा) का उच्चगुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए। चारा के गुणवत्ता में खराबी, गंध या सड़न नही आना चाहिए, इस हेतु आवश्यकता अनुरूप ही भण्डारण किया जाना होगा। चारे की मवेशियों को वितरण होने पर मवेशियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने में अनुबंधित एजेंसी की जवाबदारी होगी।

13. गौ आश्रय केन्द्र में दानदताओं के माध्यम से प्राप्त चारा, नेपियर ग्रास एवं अन्य चारे का रिकार्ट संधारित अनुबंधित एजेंसी को करना होगा।

14. चारे भण्डारण के दौरान आगजनी होने के नुकसान का नगर निगम द्वारा द्वारा भुगतान नही किया जावेगा। अतएव परिसर में संचालन के दौरान सुरक्षात्मक तरीके से भण्डारण किया जाना आवश्यक होगा।

15. संबंधित एजेंसी/संस्था व समूह द्वारा गौ आश्रय केन्द्र (गौठान), कम्पोस्ट शेड, संबंधित अधोसंरचना एवं परिसर को साफ सुधार एवं व्यवस्थित रखा जाना होगा।

16. नगरीय निकाय की अनुमति से वर्मी कम्पोस्ट, अन्य कम्पोस्ट, गार्डन पाउडर, गोबर के दिये, आगरबत्ती, धूप बत्ती, गोबर लकड़ी, कंडे आदि सामाग्री का निर्माण तथा विक्रय कर लाभांश अर्जित करना। विक्रय किये गये सामाग्री का समुचित पंजी संधारित करते हुये रिकार्ड किया जाना अनिवार्य होगा।

17. नगरीय निकाय के पूर्व अनुमति के बिना किसी भी निजी/सार्वजनिक कार्यक्रम गौठान में संचालित नही होंगें जिससे संचालन कार्य प्रभावित हो।

18. आवारा पशुओं नगर पालिक निगम, द्वारा स्वीकृत/निर्धारित दर पर छोड़ने से प्राप्त होने वाली राशि एजेंसी के स्वयं की होगी। इसका उपयोग रख–रखाव में किया जावेगा जिसका सम्पूर्ण रिकार्ड एजेंसी के द्वारा रखा जाएगा। जिसे निगम द्वारा निगरानी अथवा मूल्यांकन किया जायेगा।

19. मवेशियों का नियमित सेहत उपचार तथा आवश्यक दवाई की व्यवस्था संबंधित एजेंसी को पशुधन विभाग से समन्वय रखते हुए करना होगा। मृत होने वाले मवेशियों का विस्तृत जानकारी के साथ गरिमामयी निष्पादन कर पंजी संधारण अनुबंधित एजेंसी को करना अनिवार्य होगा।

20. अनुबंधित एजेंसी के द्वारा गौठान के संचालन एवं रखरखाव कार्य में पूर्णतः सावधानी रखते हुये कार्य संपादित किया जावेगा। स्थल पर होने वाली किसी भी आकस्मिक घटनाओं एवं दुर्घटनाओं के लिए अनुबंधित एजेंसी स्वय जिम्मेदार होगें।

21. एजेंसी द्वारा प्रदाय की जाने वाली चारा का धरमकांटा वजन पर्ची संधारित करते हुये पृथक पंजी में खरीदी की गयी चारे की मात्रा इंद्राज किया जाना अनिवार्य होगा। चारा परिवहन करने वाले वाहन का गाड़ी नंबर सहित जियो टेग फोटो, धरमकांटा वजन पर्ची संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।

22. गौठान में रखे गये पशुओं को चारा चराने या अन्य कारणों से बाहर नहीं छोड़ा जावेगा।

23. गौठान में पशुओं की संख्या के अनुसार रखरखाव एवं संचालन कार्य हेतु न्यूनतम 07 कर्मचारी प्रतिदिन की व्यवस्था करना होगा एवं नियुक्त कर्मचारियों के वेतन की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

24. चौकीदारी कार्य प्रतिदिन 24 घंटे पूर्ण अवधि के लिये होगी इस अनुरूप एजेंसी को रात्री कालिन पाली में चौकीदार हेतु अतिरिक्त श्रमिक चौकीदार के रूप में रखना अनिवार्य होगा।

25. सभी गौवंशो को प्रतिदिवस प्रति गौवंश 4 किलो पैरा कुट्टी, 4 किलो हरा चारा, 1.50 किलो पशुआहार तथा आवश्यक दवाई व मिनिरल उपलब्ध कराना होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।

26. कोसानगर गौ–आश्रय संचालन हेतु इस प्रकृति के समान कार्य सम्पादित किये जाने वाले एजेंसी / स्व–सहायता समुह को लगभग विगत दो वर्षो का अनुभव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
27. अनुबंधित एजेंसी / स्व–सहायता समुह को कार्यादेश उपरांत संचालन कार्य तृतीय पक्षकार या अन्य एजेंसी को कार्य हस्तांतरित किया जाना पूर्णतः वर्जित होगा।
28. संचालन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों का दैनिक उपस्थिति पंजी तथा बायो मेट्रिक उपस्थिति प्रणाली संधारित किया जाना आवश्यक है।
29. गौ आश्रय केन्द्र के सभी मवेशियों का नम्बरिंग (Ear Tagging एवं Microchipping) पशुधन विकास विभाग के निर्देशानुसार करना होगा।
30. किसी भी विवाद की भी स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।

उप अभियंता जोन क्र.–01 नगर पालिक निगम भिलाई	सहायक अभियंता जोन क्र.–01 नगर पालिक निगम भिलाई	कार्यपालन अभियंता जोन क्र.–01 नगर पालिक निगम भिलाई	जोन आयुक्त जोन क्र.–01 नगर पालिक निगम भिलाई